राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(11)ग्रावि/आई.ए.वाई./पीआरसी/ग्रुप–5/2015–16 जयपुर, दिनांक जुलाई, 2015
18-08-2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त, जिला परिषद्,
राजस्थान।

विषय :– आवास योजना के अधीन निर्मित आवासों की गुणवत्ता एवं निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्ययों का उपयोग।

प्रसंग :– भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्रांक M-13011/05/2013-RH dated 13 July, 2015

इन्दिरा आवास योजना के दिशा–निर्देशों के पैरा 3.6 के अनुसार, निर्माण की गुणवत्ता तथा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी को सुनिश्चित करने में लगने वाली लागत, प्रशासनिक व्ययों के अन्तर्गत व्यय की पात्र मद है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2015 के द्वारा **"गुणवत्ता व निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्ययों का उपयोग हेतु ग्राम पंचायत आईएवाई के अन्तर्गत प्रत्येक मकान को ग्राम स्तर के कार्यकर्ता से जोडा जाना है। कार्यकर्ता का कार्य लाभार्थी की जानकारी रखना और निर्माण में सहायता करना है। राज्य में प्रचलित वर्तमान बजार दरों के आधार पर कार्मिक को दिये जाने वाले व प्रोत्साहन राशि की दर को प्राप्त किया जा सकता है।"** निर्देश जारी किये गये है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 7.7 के अनुसार शौचालय निर्माण एवं उपयोग हेतु ग्राम स्वच्छतादूत को प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य प्रवर्तित योजना **"मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना"** के अन्तर्गत पत्र क्रमांक एफ 186( )परांवि/लेखा/हडको/ 2011–12 दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के द्वारा ब्लॉक स्तर पर रू. 150 प्रति आवास की दर से कनिष्ठ अभियन्ता को तथा ग्रामसेवक को रू. 120 प्रति आवास की दर से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान था। (परन्तु यह राशि किसी भी स्थिति में उक्त कार्मिक के प्रतिवर्ष, एक माह के मूल वेतन के अधिकतम होगी अर्थात् एक माह के मूल वेतन के बराबर से अधिक नहीं होगा।) निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण के आदेश क्रमांक 6419–6820 दिनांक 03.12.2014 द्वारा सामाजिक अंकेक्षण हेतु कार्यरत ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, ग्राम संसाधन व्यक्तियों का मानदेय निर्धारित किया गया है।

उक्त आदेशों के आधार पर दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा निर्देशित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का मानदेय निष्पादन/कार्यप्रदर्शन के आधार पर मानदेय 225 रू. प्रतिदिन या 25 रू प्रति आवास निरीक्षण की दर से जो भी कम हो निर्धारित किया जाता है। इसी क्रम में विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 27(50)/ग्राविवि/अभि./मो. लक्ष्य/ग्रुप–5/2015–16 जयपुर दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा आवास योजना के क्रियान्वयन में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की सेवाएं मानदेय के आधार पर लिए जाने के निर्देश जारी किये गये है।

1. **सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का चयन :–**

ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यरत संविदा कार्मिक यथा आंगनबाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साक्षरता प्रेरक, स्वच्छतादूत एवं सामाजिक अंकेक्षण हेतु चयनित ग्राम/ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति की सूची तैयार की जावें। ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में आवास योजना के लक्ष्य व पूर्व के बकाया आवासों का पर्यवेक्षण एवं निर्माण में लाभार्थी को मार्ग–दर्शन हेतु चर्चा कर उपलब्ध सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति को अपूर्ण आवासों की संख्या के आधार पर 1 या 1 से अधिक व्यक्तियों को आवास पर्यवेक्षण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का लाभार्थीवार दायित्व दिया जावें। ग्राम पंचायत में स्वीकृत/प्रगतिरत आवासों की संख्या/कार्यभार के मध्यनजर ही सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का चयन किया जावें।

यहां विशेष उल्लेख है कि पंचायत समिति/जिला परिषद स्तर पर आवश्यकता महसूस किये जाने पर उनके स्तर से भी सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का चयन कर पंचायतवार, आवासवार आवास पूर्ण कराना का दायित्व दिया जा सकता है। सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के चयन उपरान्त उनको लिखित आदेश के माध्यम से आवासों का कार्य आवंटित किया जावें। जिसकी प्रति पंचायत समिति व जिला परिषद को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावें।

2. **सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को मानदेय का भुगतान :–**

वर्ष 2015–16 से पूर्व वर्षों में स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने के मध्यनजर ऐसे आवास जिन्हें द्वितीय व तृतीय किश्त का भुगतान नहीं हुआ हो हेतु उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर सामुदायिक संसाधन व्यक्ति का चयन कर उन्हें आवास पूर्ण कराने हेतु अधिकृत किया जाकर 225 रू. आवास का मानदेय नीचे

वर्णित प्रक्रिया के आधार पर दो किश्तों में किया जावें एवं ऐसे आवास जिन्हें द्वितीय किश्त का भुगतान हो चुका है, को पूर्ण कराने हेतु प्रति आवास के आधार पर कार्य को सम्पादित कराकर प्रति आवास/प्रतिदिन/प्रति आवास की दर से जो भी कम हो अधिकतम 150 रू प्रति आवास का भुगतान किया जावें।

वर्ष 2015–16 से प्रत्येक आवास पूर्ण कराने हेतु सामुदायिक संसाधन व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाकर उन्हें निम्नानुसार दो किश्तों में मानदेय का भुगतान किया जावें :–

1. लाभार्थी के खाते में प्रथम किश्त प्राप्ति दिनांक से 9 माह में द्वितीय किश्त हेतु पंचायत समिति में आवेदन प्रस्तुत कर आवाससॉफ्ट पर इन्द्राज कराने पर 75 रू. प्रति आवास का भुगतान किया जावें।
2. लाभार्थी के खाते में द्वितीय किश्त प्राप्ति दिनांक से 9 माह में तृतीय किश्त हेतु पंचायत समिति में आवेदन प्रस्तुत कर आवाससॉफ्ट पर इन्द्राज कराने पर 150 रू. प्रति आवास का भुगतान किया जावें।
3. पंचायत समिति को आवंटित प्रशासनिक मद की राशि से सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का मानदेय मासिक आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

3. **विशेष प्रोत्साहन राशि –**

वर्ष 2015–16 में स्वीकृत आवासो को एवं गत वर्षों के अप्रारम्भ आवासों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने में लाभार्थी को मार्ग–दर्शन व सहयोग हेतु उक्तानुसार देय रू. 225 प्रति आवास के मानदेय के अतिरिक्त सम्बन्धित **संसाधन व्यक्ति को 225 रू प्रति आवास अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देय होगी** अर्थात् वर्ष 2015–16 में स्वीकृत एवं गत वर्षों के अप्रारम्भ आवास को आलोच्य वित्तीय वर्ष अर्थात् 2015–16 में पूर्ण कराने पर कुल 225+225 = 450 रू प्रति आवास मानदेय देय होगा।

4. **सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के दायित्व :–**

सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के रूप में महात्मा गांधी नरेगा के सामाजिक अंकेक्षण हेतु चयनित ग्राम संसाधन व्यक्ति, साक्षरता योजना के अन्तर्गत चयनित साक्षरता प्रेरक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजीविका मिशन के अन्तर्गत बने स्वयं सहायता समूह एवं अन्य ग्राम पंचायत स्तरीय मानदेय पर आधारित चयनित अन्य व्यक्तियों की सेवाएं ली जा सकती है। इनके निम्न दायित्व होंगे।

1. लाभार्थी को आवास योजना की पात्रता, अनुमत लाभ स्थानीय निर्माण तकनीकों आदि की जानकारी प्रदान करना।
2. ग्राम पंचायत व पंचायत समिति व अन्य राजकीय कार्यालयों से लाभार्थी को समुचित जानकारी व अन्य योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा व स्वच्छ भारत मिशन आदि से प्राप्त लाभों की जानकारी देकर देय लाभों को लाभार्थी को दिलाया जाना सुनिश्चित करना।
3. आईईसी व आवास निर्माण में लाभार्थी को सहयोग करना।
4. लाभार्थी को समय पर द्वितीय व तृतीय किश्त का भुगतान सुनिश्चित करना।
5. संसाधन व्यक्ति ग्राम पंचायत की प्रत्येक पाक्षिक बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।

इस कार्य हेतु मानदेय व्यय जिले को आवंटित योजना के प्रशासनिक मद के कुल आवंटन की सीमा में ही किया जावें।

18/8/15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंरावि।
7. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रावि।
9. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–V) विभाग।
10. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि/पंरावि/महात्मा गांधी नरेगा।
11. परियोजना अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, (मो. एवं मू) को विभागीय बेव–साईट पर अपलोड कराने के क्रम में।
12. निदेशक, सीसीडीयू, राजस्थान, जयपुर।
13. समस्त परियोजना निदेशक एवं योजना प्रभारी, ग्रामीण विकास विभाग।
14. समस्त जिला कलक्टर।
15. समस्त जिला प्रभारी।
16. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
17. समस्त परियोजना अधिकारी/योजना प्रभारी (आवास) जिला परिषद।
18. समस्त परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद।
19. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।

E-OFFICE No. 898/09
DATE 21.8.15

18/8/15
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)